राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 4245/2024

बबिता

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन—सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक, धौलपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक, धौलपुर।
5. प्रधानाध्यापक, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कैथरी, ब्लॉक सैपऊं, धौलपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.12.2024
आदेश की दिनांक : 13.01.2025

<u>उपस्थित —</u>
अपीलार्थी की ओर से : श्री जितेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक—1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कैथरी, ब्लॉक सैपऊं, धौलपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हुसैनपुर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सैपऊं ब्लॉक में कार्यरत है। अपीलार्थी का ब्लॉक परिवर्तित करते हुए ब्लॉक बरी में स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, जो उचित नहीं हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सैपऊं ब्लॉक में रिक्त पद होने के बावजूद भी अपीलार्थी का पदस्थापन अन्य ब्लॉक में किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के कनिष्ठ व्यक्ति को उसी ब्लॉक में रखा गया है, जबकि

अपीलार्थी को अन्य ब्लॉक में स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer Order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer Orders are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer Orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights. Even if a transfer Order is passed in violation of executive instructions or Orders, the Courts ordinarily should not interfere with the Order instead affected party should approach the higher authorities in the Department. If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer Orders issued by the Government and its subordinate authorities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."*

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)